प्रेषक,

वित्त नियंत्रक, (उ0शि0) उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री बजट अनुभाग
प्रयागराज।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बन्धित राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : डिग्री बजट/ 4748 /2018–19, दिनांक : 04.01.2019

विषय :– प्रदेश स्थित राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 01.01.2016 एवं उसके उपरान्त कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिये जाने के आधार पर देय अवशेषों के भुगतान हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–61/2018/1589/सत्तर–4–2018–21(4)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या–1124/सत्तर–4–2018–358(वि0वे0आ0)/2018 दिनांक 13.09.2018 के क्रम में प्रदेश स्थित राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 01.01.2016 एवं उसके उपरान्त कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आपके महाविद्यालय के शिक्षकों के अवशेष भुगतान हेतु **संलग्न एलाटमेण्ट ग्रिड रिपोर्ट** के अनुसार धन का आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जा रहा है :–

1. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष महाविद्यालयों में दिनांक 01.01.2016 एवं उसके उपरान्त कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिये जाने के आधार पर देय अवशेषों (दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक) के एरियर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
2. इस अनुदान का उपयोग उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु यह स्वीकृत की जा रही है। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का अन्य मदों में व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। स्वीकृत मद के इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।
3. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित शिक्षकों के अवशेष एरियर की वास्तविक गणना करते हुये भुगतान किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय कि अवशेष वेतन की वास्तविक देयता का सम्यक परीक्षण कर पुष्टि करने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान करेंगे।